भाग–8

अन्य कल्याण योजनाएं

(क) राज्य योजनाएं

(1) स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान योजना।
Grant-in-Aid Scheme to Voluntary Organisations

उद्देश्य कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु अनुदान उपलब्ध करवाना।

पात्रता सभाऐं पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संख्या/पंजीकृत चैरीटेबल ट्रस्ट।
संस्था कम से कम तीन वर्ष से अधिक सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य कर रही हो

सहायता 90:10 अनुपात में अनुदान दिया जाता है।

प्रक्रिया पात्र संस्था निर्धारित प्रपत्र पर निम्नलिखित दस्तावेज सहित आवेदन कर सकती है:–

- संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- संख्या के उप–नियमों की प्रति।
- प्रबन्ध समिति सदस्यों की सूची।
- कर्मचारी की सूची।
- गत वर्ष की अंकेक्षित तुलन पत्र।
- संस्था की वार्षिक प्रगति रिर्पोट।
- गत वर्ष के अनुदान के उपयोग प्रमाणपत्र।
- सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी की निरीक्षण रिर्पोट।

सम्पर्क–अधिकारी निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/जिला कल्याण अधिकारी /तहसील कल्याण अधिकारी।

स्वयं सेवी संस्थाएं जिन्हें अनुदान दिया जा रहा है।

1. हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद, शिमला।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड, शिमला।
3. जिला रैड क्रास सोसाईटी, कल्पा जिला किन्नौर।
4. कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि, शिमला।
5. दिव्य मानव ज्योति अनाथालय ट्रस्ट, डैहर जिला मण्डी।
6. दीनबन्धु सेवा मण्डल भरनाल, जिला मण्डी।
7. महिला कल्याण मण्डल चम्बा।
8. बल्ह बैली कल्याण सभा भंगरोटू जिला मण्डी।
9. गुज्जर इस्लामियां तालीम सोसाईटी कुठाड(चौपाल)जिला शिमला।
10. हिम गिरी कल्याण आश्रम शिल्ली जिला सोलन।
11. ऐज केयर इंडिया हिमाचल चैप्टर, शिमला।